अध्याय - 4
खनन प्राप्तियाँ

अध्याय 4
खनन प्राप्तियाँ

4.1 प्रस्तावना

खनिजों को मुख्य खनिज (लौह अयस्क, मैग्नीज़, सोना इत्यादि) और गौण खनिज (रेत, ग्रेनाईट, कंकड़, इमारती पत्थर इत्यादि) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खनिजों की खुदाई के लिए खनन पट्टे[42] / उत्खनन पट्टे[43] एवं व्यापारिक खदान[44] के रूप में खदानों को आवंटित / स्वीकृत किया जाता है। राज्य में खनिजों पर रॉयल्टी का करारोपण एवं संग्रहण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, खनिज रियायत नियम 1960, म.प्र. गौण खनिज नियम 1996, मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) नियम, 2006 इत्यादि द्वारा निर्धारित होता है।

4.2 कर प्रशासन

खनिज संसाधन विभाग, प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश शासन के पूर्णतः अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग का प्रमुख होता हैं जिसकी सहायता मुख्यालय और ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं रीवा में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के उपसंचालकों द्वारा की जाती है। कलेक्टर जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख है और जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.), सहायक खनिज अधिकारी (स.ख.अ.) एवं खनिज निरीक्षक (ख.नि.) उनके राजस्व संग्रहण संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करते हैं। जि.ख.अ. / स.ख.अ और ख.नि. रॉयल्टी और अन्य खनन प्राप्तियों के निर्धारण, अधिरोपण और संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं। जि.ख.अ एवं ख.नि. खदानों का निरीक्षण तथा खनिजों के उत्पादन व प्रेषण की समीक्षा के लिए अधिकृत हैं। सभी 51 जिलों में, खनिज शाखा, कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करती है।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017–18 के दौरान खनिज संसाधन विभाग की 54 लेखापरीक्षा योग्य चिन्हित इकाईयों में से 27 (50 प्रतिशत) इकाईयाँ (कार्यालय प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन, कार्यालय संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म और 25 जिला खनिज कार्यालय) लेखापरीक्षा के लिये शामिल किये गये। वर्ष 2017–18 के दौरान विभाग द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व ₹ 3,640.73 करोड़ था जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 1,052.81 करोड़ (लगभग 29 प्रतिशत) संग्रहित किये। वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा में 2,711 प्रकरणों में ₹ 561.39 करोड़ के राजस्व की कम वसूली होने / वसूली नहीं होने एवं अन्य अनियमिताओं के प्रकरण संज्ञान में आए, जो निम्नानुसार **तालिका 4.1** में उल्लेखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

---

42 खनन पट्टा से आशय खनन संचालन के उद्देश्य से दिया गया पट्टा है और इसमें उक्त उद्देश्य हेतु स्वीकृत उप–पट्टा सम्मिलित है। यह मुख्य खनिजों के लिए दिया जाता है।

43 उत्खनन पट्टे से आशय गौण खनिजों के लिए खनन पट्टा है।

44 व्यापारिक खदान से आशय एक खदान से है, जिसके लिए 'कार्य का अधिकार' नीलाम किया जाता है।

तालिका 4.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	''मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से राजस्व प्राप्तियाँ'' पर लेखापरीक्षा	252	207.07
2	वसूल न किया गया बकाया राजस्व	33	86.64
3	अनिवार्य किराया/रॉयल्टी का अनारोपण/कम आरोपण	295	24.29
4	ठेका राशि की अवसूली/कम वसूली	132	6.39
5	खदानों पर ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर का अनारोपण/कम आरोपण	142	5.88
6	जिला खनिज फाउंडेशन (जि.ख.फा.) अभिदान की अवसूली/कम वसूली	01	2.70
7	विलम्बित भुगतानों पर ब्याज़ की अवसूली/कम वसूली	134	2.61
8	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) निधि का वसूल न होना	16	0.49
9	अन्य (शास्ति का अनारोपण, पट्टा अनुबंधों पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का अनारोपण आदि)	1,665	220.72
योग		**2,670**	**556.79**

इन प्रेक्षणों को मई 2017 से मई 2019 की अवधि के दौरान शासन तथा विभाग को प्रेषित किया गया। इन प्रकरणों में से विभाग ने 658 प्रकरण स्वीकार किए जिनमें ₹ 189.50 करोड़ की राशि निहित थी तथा ऐसे 549 प्रकरणों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया जिनमें ₹ 80.26 करोड़ की राशि निहित थी। यद्यपि, विभाग द्वारा 37 प्रकरणों में राशि ₹ 27.87 लाख की वसूली की सूचना (सितम्बर 2019) दी गई।

4.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 63 कंडिकाओं में ₹ 450.03 करोड़ के विभिन्न प्रेक्षणों को दर्शाया गया था, जिनमें से विभाग द्वारा केवल ₹ 3.46 करोड़ की वसूली की गई थी। इन 63 कंडिकाओं में से सितम्बर 2016 और जुलाई 2018 के मध्य 20 कंडिकायें[45] चर्चा हेतु लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चुनी गईं। लो.ले.स. ने वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 20 कंडिकाओं पर चर्चा की। वर्ष 2012–13 से 2015–16 अवधि के सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की सभी कंडिकाओं के संबंध में विभाग का उत्तर लो.ले.स. के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

लो.ले.स. ने वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समान कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा एवं दिशा–निर्देश (27वाँ प्रतिवेदन, 2014–15; 390वाँ प्रतिवेदन, 2016–17; 393वाँ प्रतिवेदन, 2016–17 और 386वाँ प्रतिवेदन, 2016–17) भी दिए जो इस प्रकार थे–

- प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के उल्लंघन के दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने के बाद समिति को सूचित किया जाए।
- वसूली न करने अथवा समय पर उपयुक्त कार्यवाही न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभाग द्वारा दंडात्मक कार्यवाही करने के बाद समिति को सूचित किया जाए।

[45] 2012–13 (09), 2013–14 (03), 2014–15 (04), और 2015–16 (04)।

- सभी प्रकरणों में विभाग को अनुशंसा की तारीख से तीन माह के भीतर वसूली करना था।
- भविष्य में समान अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकना और आवश्यक आदेश जारी करना, जिसमें उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करना भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त अनुशंसाएँ थीं कि–

- लंबित बकाया राशि और ब्याज़ की वसूली के लिए विभाग द्वारा समय–सीमा निर्धारित की जानी थी।
- विभाग को लंबित राशि की वसूली के साथ–साथ लेखे से संभावित अवसूलनीय राशि के अपलेखन की कार्यवाही करनी थी।
- अवसूली के संबंध में सख्त निर्देश जारी किये जाने थे जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति न हो तथा वित्तीय हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त उपाय सुनिश्चित हो सके।

तथापि, विभाग ने अनुशंसाओं का पालन नहीं किया है। शकधर समिति की अनुशंसाओं, जिन्हें म.प्र. शासन द्वारा स्वीकार किया गया था, के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रेक्षणों पर विभाग के उत्तर, प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने हैं और लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर कार्यवाही छः महीने के भीतर की जानी है। यद्यपि, विभाग द्वारा इनका अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

"मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से खनन प्राप्तियाँ" विषय पर आधारित लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्ष, जिसमें राशि ₹ 207.07 करोड़ निहित हैं तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रकाश डालते हुए कुछ व्याख्यात्मक प्रकरण जिनमें ₹ 10.69 करोड़ की राशि निहित है, को आगामी परिच्छेदों में वर्णित किया गया है। सभी प्रेक्षण शासन तथा विभाग को प्रेषित किये गये थे।

4.5 ''मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से खनन प्राप्तियाँ'' पर लेखापरीक्षा

4.5.1 परिचय

मध्य प्रदेश राज्य खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। राज्य में बॉक्साइट, कोयला, चूना पत्थर, मैंगनीज अयस्क, तांबा अयस्क, लौह अयस्क, रॉक फास्फेट, हीरा आदि महत्वपूर्ण मुख्य खनिज भंडार हैं। खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर.अधिनियम) और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, खानों के विनियमन और मुख्य खनिजों के विकास को नियंत्रित करते है। एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार सभी खनन पट्टों को 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जायेगा। संशोधन अधिनियम 2015 के प्रारंभ होने से पूर्व अनुदत्त सभी खनन पट्टों को भी 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत माना जाएगा। पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टे को अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।

4.5.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से संपादित की गयी कि:

- नियंत्रण प्रणाली अस्तित्व में थी एवं राजस्व की हानि को प्रभावी ढंग से रोक रही थी; तथा
- अधिनियम, नियमों एवं विभागीय निर्देशों के प्रावधानों का शासकीय राजस्व की सुरक्षा के लिए यथोचित रुप से अनुपालन किया गया था।

4.5.3 लेखापरीक्षा मानदंड

विषयगत लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गये:

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (एम.एम.डी.आर. अधिनियम) एवं इसका संशोधन अधिनियम, 2015 (एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम);
- खनिज रियायत नियम, 1960 (एम.सी. नियम 1960);
- खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 (एम.सी.नियम 2016);
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (एमसीडीआर);
- मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम;
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899;
- मध्य प्रदेश खनिज नीति, 2010 (खनिज नीति); और
- केंद्र/राज्य शासन एवं संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जारी अधिसूचनाएँ तथा परिपत्र।

4.5.4 कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के मध्य की गई थी। राज्य में 51 जिला खनिज इकाईयाँ हैं, जिनमें से 21 जिलों में मुख्य खनिज पाए जाते हैं। राशि ₹ 7,055.50 करोड़ की राजस्व प्राप्ति वाली इन 21 इकाईयों में से राशि ₹ 6,461.30 करोड़ की राजस्व प्राप्ति वाली 13 इकाईयों[46] का स्ट्रेटीफाईड रेण्डम सेम्पलिंग विधि द्वारा चयन किया गया। उपरोक्त के अलावा, समग्र मूल्यांकन हेतु लेखापरीक्षा द्वारा दो शीर्ष इकाइयों[47] का भी चयन किया गया। मुख्य खनिजों से प्राप्त राजस्व के निर्धारण, करारोपण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की जाँच हेतु लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक तीन वर्ष की अवधि को सम्मिलित किया गया।

दिनांक 22 नवम्बर 2018 को आयोजित एक आगम सम्मेलन में लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर विभाग के प्रमुख सचिव समक्ष व्याख्या की गई। लेखापरीक्षा के समापन पर शासन एवं विभाग को 23 मई 2019 को एक प्रारूप प्रतिवेदन प्रेषित किया गया एवं दिनांक 20 अगस्त 2019 को विभाग के प्रमुख सचिव के साथ निर्गम सम्मेलन में इस पर चर्चा भी की गई। विभाग से प्राप्त (सितम्बर 2019) उत्तरों को समुचित रुप से संबंधित अनुच्छेदों में शामिल किया गया है। यद्यपि, प्रारूप प्रतिवेदन पर शासन का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

4.5.5 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मुख्य खनिजों की प्राप्तियों में प्रमुख रुप से राज्यांश एवं अन्य प्राप्तियाँ जैसे आवेदन शुल्क, भू–भाटक, ब्याज, अनुज्ञप्ति शुल्क, शास्ति, सतह किराया आदि है। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 की अवधि की कुल प्राप्तियाँ **चार्ट 4.1** में दर्शायी गई हैं :

---

46 **जिला खनिज कार्यालय** अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, रीवा, सतना, सिंगरौली एवं हीरा अधिकारी पन्ना।

47 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म एवं प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग।

चार्ट 4.1

वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान खनन प्राप्तियाँ

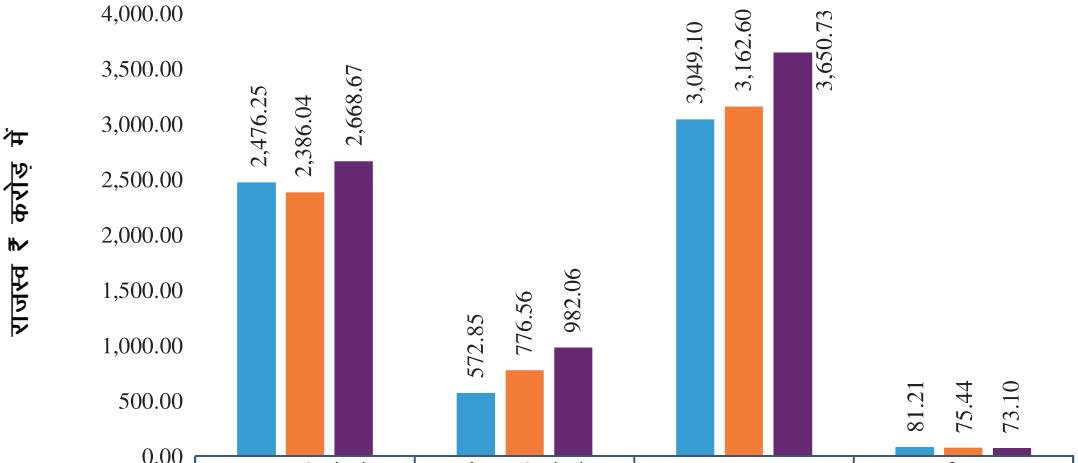

	मुख्य खनिजों से प्राप्त राजस्व	गौण खनिजो से प्राप्त राजस्व	कल राजस्व	मुख्य खनिज का कुल राजस्व में प्रतिशत
2015-16	2,476.25	572.85	3,049.10	81.21
2016-17	2,386.04	776.56	3,162.60	75.44
2017-18	2,668.67	982.06	3,650.73	73.10

मुख्य खनिजों की प्राप्तियों का खनिजवार अंश

मुख्य खनिजों से वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान शुद्ध खनन प्राप्तियाँ[48] ₹ 6,908.15 करोड़[49] के विरूद्ध मुख्य खनिजों की प्राप्तियों का खनिजवार अंश **चार्ट 4.2** में दर्शाया है:

चार्ट 4.2

2015–16 से 2017–18 के दौरान मुख्य खनिज–वार प्राप्तियाँ

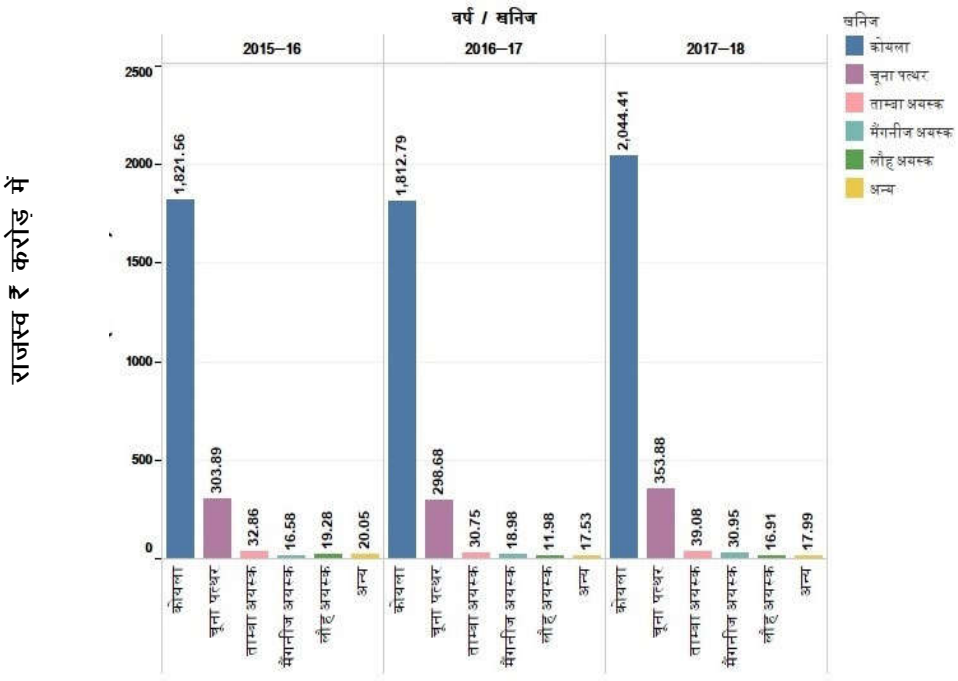

48 'शुद्ध खनन प्राप्तियों' में आवेदन शुल्क, ब्याज, अनुज्ञप्ति शुल्क, शास्ति, सतह किराया इत्यादि शामिल नहीं है।

49 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा प्रदत्त जानकारी।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि शासन ने मुख्य खनिजों की खनन प्राप्तियों का 82 प्रतिशत कोयले से अर्जित किया जबकि अन्य मुख्य खनिजों से मात्र 18 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति हुई ।

राजस्व संग्रह की प्रक्रिया

विभाग में राजस्व के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण का प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है :

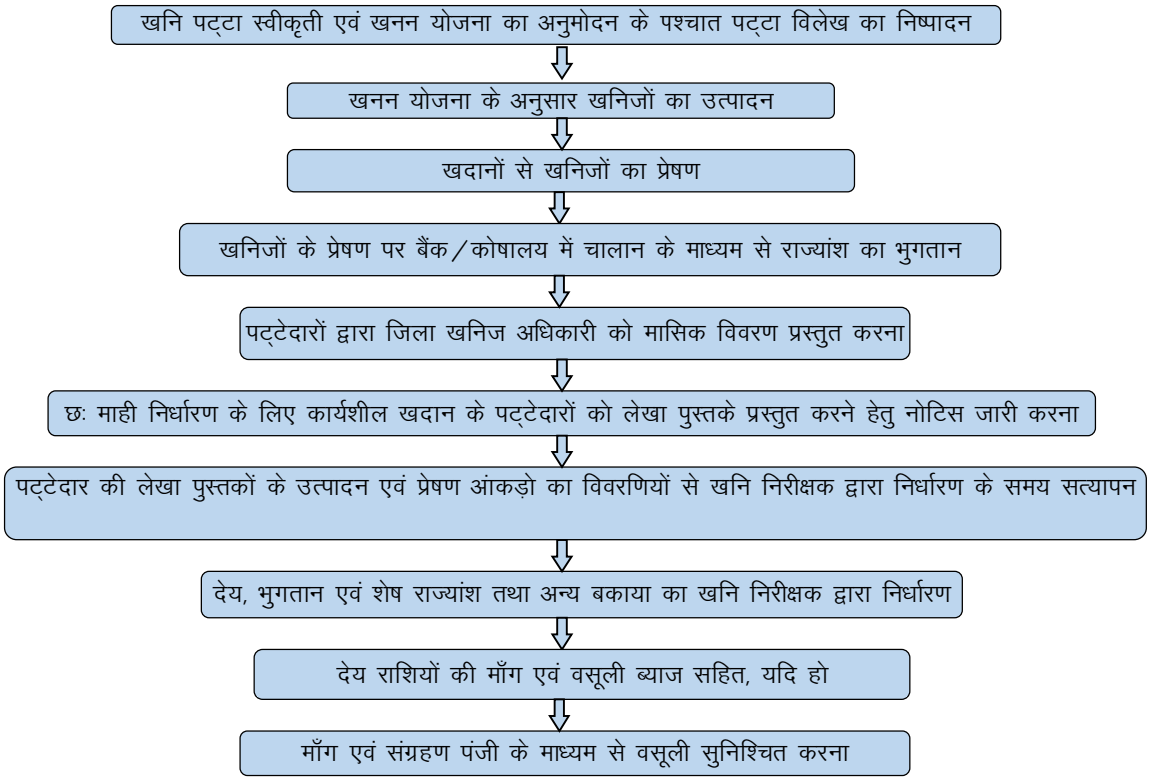

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित प्रणाली एवं अनुपालन की कमियों को आगामी परिच्छेदों में दिया गया है:

4.5.6 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निगरानी तंत्र सुरक्षा के उपाय हैं जो विभाग द्वारा यह आश्वासन प्रदान करने के लिए लिये रखे जाते है कि इसकी गतिविधियों को कुशलता से कार्यान्वित किया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व के असंग्रहण/कम संग्रहण या राजस्व के अपवंचन के विरूद्ध पर्याप्त सावधानी बरती गई। इस तरह के आंतरिक नियंत्रण द्वारा प्रदान किया गया यथोचित आश्वासन शासकीय प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व को प्रबल करता है और राजस्व की हानि की रोकथाम सुनिश्चित करता है।

खनन प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं निगरानी तंत्र निम्न प्रकार से अपर्याप्त थे।

4.5.6.1 विभागीय मैनुअल का अभाव

किसी भी संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह एक विभागीय मैनुअल रखे, जो उसके कार्यों के निर्वहन करते समय लागू होने वाली विधियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट

रुप से दर्शाये। एक संगठन की दक्षता काफी हद तक पर्याप्त कार्यविधि और कार्यप्रणाली के मूल्यांकन और इनका अनुसरण करने के लिए कर्मचारियों की योग्यता पर निर्भर करती है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग के पास विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण देने वाला कोई विभागीय मैनुअल नहीं है। विभागीय मैनुअल के अभाव में, विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यों एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान विभाग ने बताया कि विभागीय मैनुअल बनाने की प्रक्रिया प्रचलन में था।

अपर्याप्त निरीक्षण

विभागीय निरीक्षण संगठन की यथोचित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अवलोकित कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

4.5.6.2 विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर, 2018) कि यद्यपि विभाग ने सभी 51 जिला खनिज इकाईयों और एक हीरा कार्यालय के लिए वर्ष 2015–16 और 2017–18 के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले वार्षिक निरीक्षण के लिए एक रोस्टर तैयार किया गया था, लेकिन संचालक ने सूचित किया (दिसंबर, 2018) कि विभाग ने रोस्टर के अनुसार होने वाले निरीक्षणों के संबंध में कोई अभिलेख संधारित नहीं रखा था। इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि विभाग ने वास्तव में रोस्टर के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया था या नहीं। यह जाँच भी नही की जा सकी कि कोई निरीक्षण प्रतिवेदन जारी हुआ या नहीं, क्योंकि निरीक्षण होने या न होने के बारे में ही कोई निश्चितता नहीं थी।

इसके अलावा, यह अवलोकित किया गया (दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के मध्य) कि 13 नमूना जाँच की गई इकाईयों में, केवल एक इकाई जिला खनिज कार्यालय, बैतूल को छोड़कर, लेखापरीक्षा अवधि में उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना नहीं पाया गया, लेकिन इस निरीक्षण का भी निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था।

विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उचित निरीक्षण के अभाव में अधीनस्थ कार्यालयों की कार्यप्रणाली की अपर्याप्त निगरानी रही। परिणामस्वरूप, प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ और अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों का अपालन जैसे मुद्दे यथावत बने रहे, जिनकी आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई।

निर्गम सम्मलेन (अगस्त 2019) में विभाग ने स्वीकार किया कि निरीक्षण प्रतिवेदनों के अभाव में निरीक्षणों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा संबंधित अधिकारियों से निरीक्षण प्रतिवेदन मँगाये जाने का आश्वासन दिया। तथापि, विभाग ने विस्तृत उत्तर (सितम्बर 2019) में बताया कि अधिकारियों की कमी एवं विद्यमान अधिकारियों की अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्नता के कारण रोस्टर के अनुसार निरीक्षण पूर्ण नहीं किये जा सके और आगे बताया कि इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी।

4.5.6.3 खनि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण

संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्य प्रदेश द्वारा जून 1977 में जारी निर्देश के अनुसार, खनि निरीक्षकों को प्रत्येक वर्ष के हर छः माह में एक बार अपने क्षेत्र की खदानों का यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाना आवश्यक है कि:

- खनि पट्टों में निर्धारित नियम व शर्तों का पट्टेदार द्वारा पालन किया जा रहा है;
- पट्टा क्षेत्र का समुचित रुप से सीमा स्तम्भों (मुनारों) द्वारा सीमांकन किया गया है;
- पट्टेदार सभी आवश्यक अभिलेख अद्यतन रखता है तथा आवधिक विवरणियों को प्रस्तुत करता है; तथा
- अवैध उत्खनन की जाँच की जाती है, इत्यादि।

यह भी निर्देशित किया गया था कि खनि निरीक्षक को निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करना है। खनि निरीक्षक का निरीक्षण तब तक पूर्ण नहीं माना जायेगा जब तक कि निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के मध्य) कि 13 नमूना जाँच की गई इकाईयों में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 736 खदानों में खनि निरीक्षकों के 3,935 (89 प्रतिशत) निरीक्षणों की कमी थी जिसे आगे **तालिका 4.2** में दर्शाया है:

तालिका 4.2

खनि निरीक्षकों के निरीक्षण में कमी

वर्ष	नमूना जाँच की गई इकाईयों में खदानों की कुल संख्या	मानदंडों के अनुसार किये जाने वाले कुल निरीक्षण	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत जानकारी के अनुसार किये गये निरीक्षणों की संख्या	उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	निरीक्षणों की संख्या में कमी
2015–16	736	1,472	185	6	1,287
2016–17	736	1,472	146	3	1,326
2017–18	736	1,472	150	11	1,322
योग		**4,416**	**481**	**20**	**3,935**

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि 12 जिला खनि अधिकारियों और एक हीरा अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार केवल 481 निरीक्षण उक्त अवधि के दौरान किए गए थे। यद्यपि, इन 481 निरीक्षणों के विरूद्ध चार जिला खनिज कार्यालयों[50] में केवल 20 निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध पाये गये। आगे, यह देखा गया कि इन 20 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 17 निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया।

संचालनालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, खनि निरीक्षकों के 112 स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में क्रमशः 101, 98 एवं 98 खनि निरीक्षक कार्यरत थे। स्वीकृत पदों के विरूद्ध खनि निरीक्षकों की कमी केवल 12.5 प्रतिशत है जबकि मौजूदा खनि निरीक्षकों द्वारा किए गए खदानों के निरीक्षणों में 89 प्रतिशत की कमी है। यह दर्शाता है कि उपलब्ध खनि निरीक्षक भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार निरीक्षण नहीं कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त, खनि निरीक्षकों के उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पायी गई कुछ कमियाँ नीचे दर्शायी गयी हैं:

[50] धार, कटनी, रीवा और सतना।

- पट्टा क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन नहीं किया गया था। अतः खनन संक्रियाएँ पट्टा क्षेत्र के अन्दर की जा रही थीं या बाहर, यह स्पष्ट नहीं था।
- उत्पादन और प्रेषण/बिक्री रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया;
- खनन योजना/नियमों के अनुसार खनन संक्रियाएँ नहीं की गई थीं;
- आवधिक विवरणियाँ आईबीएम और विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई थीं; तथा
- पट्टा क्षेत्र में नापतौल मशीन स्थापित नहीं की गई थी।

उपर्युक्त अनियमिताओं का अन्य खदानों में भी होने की संभावना है। यदि सभी खदानों का निरीक्षण किया जाता तो पूर्ण कमियों की मात्रा विभाग के ध्यान में आती जिससे अनियमित खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने या राजस्व का उचित निर्धारण और संग्रहण सुनिश्चित करने में विभाग समर्थ बनता। निर्धारित मानदंडों के विरूद्ध खनि निरीक्षकों के निरीक्षण में कमी निम्न प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं:

- खनन और अन्वेषण गतिविधियाँ अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार वैध तरीके से नहीं की जा रही हैं;
- खनिजों के उत्खनन और प्रेषण की मात्रा का उत्पादन/प्रेषण रजिस्टर के साथ–साथ खतौनी में ठीक से इन्द्राज नहीं किया जा रहा है, जो राज्यांश की हानि का कारण है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके कारण विभाग को राज्यांश की सही स्थिति भी ज्ञात नहीं है; एवम्
- अवैध उत्खनन की गतिविधियों का समय से पता नहीं चल पाया और इसकी रोकथाम नहीं जा सकी, जिसके कारण पर्यावरण और आसपास के रहवासियों की जीविका को नुकसान पहुंचने के साथ–साथ राज्यांश की हानि भी हुई।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान शासन ने बताया कि खदानों की संख्या के अनुपात में खनि निरीक्षकों के पदों की कम संख्या के कारण खदानों के अपर्याप्त निरीक्षण हुए। यद्यपि, विभाग ने विस्तृत उत्तर (सितम्बर 2019) में बताया कि खनि निरीक्षकों को निरीक्षण न किये जाने पर चेतावनी दी गई है और जिला खनि अधिकारियों को संबंधित खनि निरीक्षकों द्वारा कर्त्तव्यों में लापरवाही बरतने के लिए कारण बताओं ज्ञापन जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पहले से ही इकाईयों में कार्यरत खनि निरीक्षकों ने न तो निर्धारित मानदंड अनुसार खदानों का निरीक्षण किया एवं आवश्यक निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किये और न ही संबंधित कलेक्टर/जिला खनिज अधिकारियों ने निरीक्षण न किये जाने पर खनि निरीक्षकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की। विभागीय अधिकारी भी नमूना जाँच किये गये जिला खनिज कार्यालयों का वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान उनकी कार्यप्रणाली और आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण करने में विफल रहे। तथ्य यह है कि विभागीय प्रक्रियाओं/मापदंड का पालन किसी स्तर पर नही किया गया, दर्शाता हैं कि विभाग में आंतरिक नियंत्रण पूर्णतः विफल हैं।

4.5.6.4 आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ (आं.ले.प्र.) नहीं था और इसलिए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नमूना जाँच की गई 13 इकाईयों में से किसी भी इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

विभाग ने कहा कि अमले की कमी के कारण विभाग में आं.ले.प्र. का गठन नहीं किया गया। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इस मुद्दे को इंगित किया था, लेकिन विभाग द्वारा इस पर कोई अद्यतन कार्यवाही नहीं की गई।

आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव में, विभाग के पदाधिकारियों द्वारा राजस्व के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण, मूलभूत अभिलेखों का संधारण, पर्यवेक्षण, खनन गतिविधियों पर निगरानी आदि के संबंध में की जाने वाली विभिन्न जाँच विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि विभागीय पुनर्गठन में प्रस्ताव को शामिल किया गया है।

निगरानी का अभाव

4.5.6.5 आवधिक विवरणियों का दाखिल करना

खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 45 के अनुसार, प्रत्येक पट्टेदार को मासिक एवं वार्षिक विवरणी (अप्रैल 2016 से ऑनलाइन) भारतीय खान ब्यूरो को दाखिल करना आवश्यक है, जिसमें खनिज–वार प्रारम्भिक स्कन्ध, उत्पादन, प्रेषण, अंतिम स्कन्ध, राज्यांश आदि को दर्शाया जायेगा और इन विवरणियों की प्रतियाँ राज्य शासन को भी प्रस्तुत की जायेंगी।

लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नमूना जाँच की गई किसी भी इकाई में पट्टेदारों से विवरणियों की प्राप्ति पर निगरानी के लिए कोई पंजी संधारित नहीं की गई थी। आगे, 10 जिला खनि कार्यालयों[51] में 371 खनि पट्टों में से 295 पट्टा नस्तियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 173 खनि पट्टों के पट्टेदारों द्वारा इन पट्टों में आवश्यक 5,923 मासिक एवं 494 वार्षिक विवरणियों के विरूद्ध केवल 2,569 मासिक एवं 78 वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी पायी गईं। इस प्रकार, 3,354 [52] (57 प्रतिशत) मासिक विवरणियाँ और 416 [53] (84 प्रतिशत) वार्षिक विवरणियाँ विभाग को प्रस्तुत की जाना नहीं पायी गई, जैसा **परिशिष्ट VIII** में दर्शाया गया है।

चूंकि जिला खनिज अधिकारियों ने विवरणियों की प्राप्ति की आवधिक जाँच नहीं की, इसलिए वे आवधिक विवरणियों की अप्रस्तुति के बारे में अनभिज्ञ रहे तथा इस कृत्य के लिए ऐसे पट्टाधारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहे। मूल अभिलेखों जैसे खतौनी[54] और पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निर्धारित विवरणियों के अभाव में पट्टेदार द्वारा उत्खनित खनिज की मात्रा का सत्यापन करना संभव नहीं था और जिला खनिज अधिकारी इन पट्टेदारों के देय एवं बकाया राज्यांश का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं थे।

यद्यपि, लेखापरीक्षा को लगता है कि आवधिक विवरणियों के अभाव के अलावा, खतौनी के असंधारित रहने और निर्धारणों के लंबित रहने के कारण सही राजस्व का निर्धारण नहीं हुआ/कम हुआ जैसा कि पैरा 4.5.8 एवं 4.5.9 में चर्चा की गयी है। इसके अलावा खनि निरीक्षकों के निरीक्षण का अभाव विवरणियों की आवधिक जाँच भी संदेह की श्रेणी में आती है क्योंकि ये दोनों बारीकी से परस्पर संबंध रखती हैं। सभी स्तरों पर इस तरह की सम्पूर्ण निगरानी की कमी गंभीर संदेह उत्पन्न करती है कि ऐसा क्यों है? शिथिल निगरानी की ऐसी स्थिति में, अवैध खनन के गंभीर मामलों एवं रॉयल्टी के नुकसान को नकारा नहीं जा सकता।

---

[51] अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, जबलपुर, झाबुआ, रीवा और सतना।

[52] 986, 1,153 एवं 1,215 मासिक विवरणियाँ क्रमशः वर्ष 2015–16, 2016–17 और 2017–18 के लिए।

[53] 120, 146 एवं 150 वार्षिक विवरणियाँ क्रमशः वर्ष 2015–16, 2016–17 और 2017–18 के लिए।

[54] माँग एवं संग्रहण पंजी को 'खतौनी' के रूप में जाना जाता है।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि विवरणियों को ई–खनिज पोर्टल के माध्यम से विभाग को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। यद्यपि, अपने विस्तृत उत्तर (सितम्बर 2019) में विभाग ने बताया कि खनिजों के उत्पादन एवं प्रेषणों के संबंध में पट्टेदारों द्वारा जानकारी ई–खनिज पोर्टल पर अप्रैल 2017 से दर्ज की जा रही है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2017–18 के लिए मासिक एवं वार्षिक विवरणियाँ पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी हैं।

4.5.7 शिथिल एवं असंचालित खदानों के प्रकरणों की समीक्षा

खनि रियायत नियम 1960 के नियम 28(1) और खनि रियायत नियम 2016 के नियम 20(1) के अनुसार यदि कोई पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख से दो साल के भीतर खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ नहीं करता है या ऐसी संक्रियाएँ प्रारम्भ करने के बाद लगातार दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए परिचालन बंद कर देता है तो राज्य शासन, एक आदेश द्वारा ऐसे खनन पट्टों को व्यपगत घोषित करेगी। आगे, मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति को पट्टे की स्वीकृति के बाद दोहन के लिए आवश्यक अनिवार्य अनुमतियाँ न्यूनतम अवधि में जारी किये जाने की निगरानी और समीक्षा करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2018) कि संचालनालय में कुल 809 खनि पट्टों में से 459 खनि पट्टे (57 प्रतिशत) शिथिल प्रतिवेदित (2017–18) किये गये थे। परन्तु इन खदानों के शिथिल होने के कारणों दर्शाने वाला कोई अभिलेख संधारित किया जाना नहीं पाया गया और न ही ऐसे पट्टों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई। लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि विभाग द्वारा उक्त प्रावधानों के अनुसार निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया। निगरानी समिति के अभाव में विभाग पट्टेदारों को संबंधित प्राधिकारियों से पर्यावरणीय मंजूरी/संचालन की स्वीकृति/खनन योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए शिथिल खदानों के प्रकरणों की समीक्षा और निगरानी करने में विफल रहा। यह मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

आगे, जिला खनिज कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर 2018 और जनवरी 2019) कि पाँच जिला खनिज कार्यालयों[55] में 316 असंचालित खनि पट्टों में से 183 खनि पट्टों के निरस्तीकरण के प्रस्ताव खनन संक्रियाएँ कार्य बंद होने के कारण वर्ष 2006 से 2017 के मध्य शासन/संचालनालय को भेजे गये थे। ये प्रकरण शासन/संचालनालय स्तर पर एक से 12 वर्ष की अवधि से निपटान हेतु लंबित थे। शेष सात जिला खनिज कार्यालयों[56] एवं हीरा कार्यालय, पन्ना में लेखापरीक्षा ने देखा कि उन्होंने शिथिल/कार्यशील खदानों की जानकारी संधारित की थी परन्तु खदानों के शिथिल रहने के कारण और अवधि दर्शाने वाला कोई अभिलेख इन जिला खनिज अधिकारियों के पास संधारित नहीं था।

शासन/विभाग स्तर पर शिथिल/असंचालित खदानों की निगरानी में विफलता के कारण राजस्व अवरूद्ध रहा। यदि इन पट्टों को अन्य इच्छुक बोलीदाताओं को पुनः आवंटित किया जाता तो शासन राज्यांश, अनिवार्य किराया, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के रुप में राजस्व अर्जित कर सकता था। यद्यपि, अभिलेखों के अभाव में अवरूद्ध राजस्व की राशि का आंकलन लेखापरीक्षा में भी नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त, 2019) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि अब विभाग इन पट्टों को तत्परता से निरस्त करेगा और नीलामी नियम 2015 के अनुसार नीलामी के लिए इन्हें प्रस्तावित करेगा। तथापि विभाग ने विस्तृत उत्तर (सितम्बर 2019) में बताया कि ऐसी असंचालित खदानों को

[55] बैतूल, धार, कटनी, रीवा और सतना।

[56] अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, झाबुआ और सिंगरौली।

पहले ही निरस्त कर दिया गया है जहाँ खनन संक्रियाएँ बिना कोई वैध कारण के बंद थीं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को शिथिल/असंचालित खदानों के पट्टे निरस्त करने के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

4.5.8 माँग एवं संग्रहण पंजी का संधारण

संचालनालय के निर्देश (सितम्बर 2005) के अनुसार जिला खनिज अधिकारियों द्वारा माँग एवं संग्रहण पंजी (खतौनी) का संधारण करना आवश्यक है जिसमें प्रत्येक खनि पट्टे का सतह किराया, अनिवार्य किराया, भुगतान की गई राशि, उत्खनित एवं प्रेषित खनिज की मात्रा, देय राज्यांश, भुगतान राज्यांश, ब्याज, चालान क्रमांक, भुगतान की दिनांक इत्यादि का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए। इसलिए खतौनी किसी पट्टेदार की बकाया एवं भुगतान की गई राशि का पता लगाने और राजस्व की माँग, संग्रहण और बकाया की दैनिक प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। जिला खनिज अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक सप्ताह खतौनी की जाँच कर इसमें प्रतिदिन की सही और उचित प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चयनित 13 इकाईयों में 10 जिला खनिज कार्यालयों/हीरा कार्यालय[57] में खतौनी संधारित नहीं की गई थी और तीन जिला खनिज कायालयों[58] में यह अद्यतन नहीं की गई थी। खतौनी के उचित संधारण की निगरानी एवं नियंत्रण/जाँच के परिप्रेक्ष्य में इसके उच्च प्राधिकारियों को समय से प्रस्तुति की कोई प्रणाली नहीं थी। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा अभिलेखों का संधारण न किया जाना भी उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण न किए जाने का एक परिणाम है।

खतौनी का संधारण न किये जाने से देय खनि राजस्व के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया तदर्थ रही। परिणामस्वरूप, खनिज के उत्खनन एवं प्रेषण के विवरण की सत्यता, पट्टेदार द्वारा देय और भुगतान राज्यांश का सत्यापन तथा विभिन्न खनि देयताओं के लिए पट्टेदार को माँग–पत्र जारी करने संबंधी स्थिति की जाँच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी। विभाग को भी खतौनी के अभाव में वसूली योग्य बकाया का निर्धारण करने में समान समस्या का सामना करना पड़ा और यह अवैध उत्खनन साथ–साथ राज्यांश के अपवंचन के लिए भी काफी गुंजाइश छोड़ता है।

खतौनी के संधारण में शिथिलता एक गंभीर जोखिम को दर्शाती है, जो खनिजों के उत्पादन और प्रेषण की सत्यता, पट्टेदार द्वारा भुगतान योग्य एवं भुगतान किये गये राज्यांश तथा बकाया राजस्व के सही निर्धारण को सत्यापित करना असंभव बनाती है। खतौनी का अभाव एक प्रमुख नियंत्रण विफलता है जो कि न केवल विभाग की राजस्व की संभावनाओं से गंभीर समझौता करती है बल्कि विभाग की जानकारी या नियंत्रण की स्थिति में आये बिना खनिजों के अधिक उत्खनन का परिणाम भी हो सकती है। विभिन्न उदाहरण जहाँ प्रारंभिक रुप से खतौनी का संधारण न किये जाने के कारण विभाग को राजस्व में कमी का सामना करना पड़ा, उनकी चर्चा पैरा 4.5.11, 4.5.12, 4.5.13, 4.5.14 और 4.5.15 में नीचे की गई है :

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान शासन ने इस तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि स्थायी निर्देशों के संदर्भ में खतौनी का संधारण महत्वपूर्ण है, अतः इसे संधारित किया जायेगा। हालांकि, विभाग ने अपने विस्तृत उत्तर (सितबंर 2019) में

---

[57] **जिला खनिज कार्यालय** अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, जबलपुर, झाबुआ, सिंगरौली और **हीरा कार्यालय** पन्ना।

[58] कटनी, रीवा और सतना।

बताया कि अप्रैल 2017 से खनिजों के प्रेषण के पूर्व इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास (ईटीपी) के माध्यम से पट्टेदारों को अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान करना है और इस प्रकार देय और भुगतान किये गये राज्यांश की जानकारी ई–खनिज पोर्टल पर उपलब्ध है।

खतौनी के संधारण के लिए स्थायी निर्देशों के संदर्भ में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्तमान ऑनलाइन प्रणाली (ई–खनिज) पट्टेदारों की देय बकाया की सम्पूर्ण स्थिति उपलब्ध नहीं कराती है। इसके अतिरिक्त विभाग ने खनिजों के केप्टिव उपयोग करने वाली खदानों के लिए अभी तक ईटीपी प्रारम्भ नहीं किया है।

4.5.9 राजस्व निर्धारण न किया जाना

संचालनालय द्वारा सितम्बर 2005 में जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पट्टेदार के राज्यांश का निर्धारण प्रत्येक छः माह में एक बार अर्थात जुलाई में (जनवरी से जून के लिए) और जनवरी में (जुलाई से दिसंबर के लिए) किया जायेगा। निर्धारण की प्रक्रिया छः माही अवधि की समाप्ति के एक माह के भीतर पूर्ण की जानी चाहिए। आगे, मध्य प्रदेश खनन नीति, 2010 का पैरा 3.8 यह निर्धारित करता है कि ₹ पाँच करोड़ या अधिक का राजस्व देने वाली खदानों की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों से कराये जाने की प्रक्रिया विभाग द्वारा प्रारम्भ की जायेगी।

चयनित जिला खनिज कार्यालयों में, लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के मध्य) कि पट्टेदारों के समय पर निर्धारण संबंधी निगरानी के लिए कोई पंजी संधारित नही की गई थी। इसलिए, लेखापरीक्षा जिला खनिज अधिकारियों द्वारा पट्टेदारों के निर्धारण की स्थिति एवं जिला खनिज अधिकारियों द्वारा पट्टेदारों को निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने संबंधी जारी सूचना की स्थिति सुनिश्चित नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा में 12 जिला खनिज कार्यालयों/हीरा कार्यालय[59] की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार जिला खनिज अधिकारियों द्वारा राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राजस्व निर्धारण में 39 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक की कमी थी जिसे **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है :

तालिका 4.3

आवधिक निर्धारण में कमी

निर्धारण वर्ष	12 जिला खनिज कार्यालयों/हीरा कार्यालय में खनि पट्टों की संख्या	किये जाने वाले निर्धारणों की संख्या	किये गये निर्धारणों की संख्या	न किये गये निर्धारणों की संख्या	कमी का प्रतिशत
2015	262	524	321	203	39
2016	263	526	313	213	40
2017	263	526	157	369	70
योग		**1,576**	**791**	**785**	

राजस्व निर्धारण की कमी के साथ–साथ खनि निरीक्षकों और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण में कमी, आवधिक विवरणियों की अप्रस्तुति और खतौनी के असंधारण (पूर्व पैरा 4.5.6.2, 4.5.6.3, 4.5.6.5 और 4.5.8 के संदर्भ में) के कारण खनिज अधिकारी/हीरा अधिकारी, खनिज के उत्खनन/प्रेषण के आँकड़ों की शुद्धता तथा

[59] **जिला खनिज कार्यालय** अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना, सिंगरौली और **हीरा कार्यालय** पन्ना।

पट्टेदार द्वारा भुगतान किये गये राज्यांश को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं थे। फलस्वरुप, जिला खनिज अधिकारियों/हीरा अधिकारी द्वारा कोई यथोचित निर्धारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

आगे, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त प्रावधानों के अनुसार, विभाग ने ₹ पाँच करोड़ या अधिक का राजस्व देने वाली खदानों की लेखापरीक्षा सनदी लेखकारों से कराये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की थी। विभाग के पास ₹ पाँच करोड़ या उससे अधिक का राजस्व देने वाली खदानों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं थी।

समय पर कर निर्धारण पूरा नहीं होने के कारण विभाग खनिजों के उत्खनन/प्रेषण की शुद्धता तथा पट्टेदार द्वारा देय/भुगतान राज्यांश की राशि को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था। परिणामस्वरूप, राजस्व का नुकसान, यदि कोई हुआ हो तो, न रोका जा सका और न ही इसका निर्धारण किया जा सका।

निर्गम सम्मलेन (अगस्त 2019) के दौरान शासन ने ₹ पाँच करोड़ या उससे अधिक का राजस्व देने वाली खदानों की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों से कराये जाने का आश्वासन दिया। हालाँकि, विभाग ने विस्तृत उत्तर (अगस्त 2019) में बताया कि जिला खनिज अधिकारियों/सहायक खनिज अधिकारियों/खनि निरीक्षकों की विभाग में कमी के कारण निर्धारण समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं और लंबित निर्धारण प्रकरणों को विशेष अभियान के द्वारा एक माह के भीतर पूर्ण कराने के प्रयास किये जायेंगे।

4.5.10 अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह डाटा का प्रयोग न किया जाना

मध्य प्रदेश खनन नीति, 2010 के अनुसार अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह डाटा का प्रयोग किया जाना चाहिये। खनन क्षेत्रों की सटीक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए खनन पट्टों की स्वीकृति/नवीनीकरण के समय ग्रिड आधारित मानचित्रों को अनिवार्य किया जाएगा। आगे, अक्टूबर 2016 में भारत सरकार, खान मंत्रालय ने मुख्य खनिजों के अवैध खनन का पता लगाने के लिए देश में खनन निगरानी प्रणाली (एम.एस.एस.) का शुभारंभ किया। केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को भी दिसंबर 2016 तक सभी गौण खनिज के पट्टों को डिजिटलाईज करके गौण खनिजों के लिए एम.एस.एस. का कियान्वयन करने के लिए कहा था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर 2018) कि संचालनालय में मुख्य खनिजों के अवैध उत्खनन के कुल 97 प्रकरण जिसमें शास्ति की राशि ₹ 1.47 करोड़ अन्तर्निहित थी, अक्टूबर 2016 से मार्च 2018 के दौरान विभाग द्वारा दर्ज किये गये थे। आगे, विभाग ने सूचित किया गया कि एम.एस.एस., जिसे राज्य में 15 अक्टूबर 2016 से प्रारम्भ किया गया था, में संदेहास्पद अवैध उत्खनन गतिविधियों के मात्र 50 ट्रिगर्स (2016–17 में 46 और 2018–19 में 4) प्राप्त हुए थे। विभाग द्वारा इन 50 ट्रिगर्स के सत्यापन पर केवल एक मामले में विचलन की पुष्टि की गई थी और वह भी निजी भूमि पर फायरक्ले के अवैध भंडारण का प्रकरण होने से अवैध उत्खनन से संबंधित मामला नहीं था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा वास्तव में दर्ज 97 प्रकरणों के ट्रिगर्स एमएसएस में प्राप्त नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, एम.एस.एस. में प्राप्त हुए 50 ट्रिगर्स में से 49 ट्रिगर्स जिला खनिज अधिकारियों के भौतिक सत्यापन पर गलत पाये गये। यह इंगित करता है कि या तो खनन निगरानी प्रणाली जिला खनिज अधिकारीयों द्वारा दर्ज वास्तविक अवैध खनन के मामलों का पता लगाने में विफल रही है या स्थानीय स्तर पर निरीक्षणों में खामियाँ रहीं। उपर्युक्त कथन इस तथ्य से और अधिक प्रमाणित होता है कि भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार से प्राप्त एम.एस.एस. द्वारा उत्पादित ट्रिगर्स की राज्यवार जानकारी यह प्रदर्शित करती है कि एम.एस.एस. आधारित 296 ट्रिगर्स (2016) में से

केवल 47 ट्रिगर्स और 52 ट्रिगर्स (2018) में से चार ट्रिगर्स में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए गए मैदानी सत्यापनों में अवैध उत्खनन का पता चला।

आगे लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में गौण खनिज के अवैध खनन के क्रमशः 673, 878 और 1,005 प्रकरण, जिनमें शास्ति की राशि ₹ 8.30 करोड़ अन्तर्निहित थी, पंजीकृत किए गए थे। यह गौण खनिजों के अवैध खनन के प्रकरणों में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि, विभाग ने गौण खनिजों के लिए राज्य में एम.एस.एस. लागू नहीं किया है जबकि इसे दिसंबर 2016 से लागू किया जाना चाहिए था।

एम.एस.एस. के द्वारा अवैध उत्खनन के वास्तविक प्रकरणों का पता न लगाये जाने के कारण इस प्रणाली का उद्देश्य सफल नहीं हुआ और विभाग भी राज्य में गौण खनिजों के मामलों में अवैध उत्खनन की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए इस प्रणाली को लागू करने में विफल रहा।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि एम.एस.एस. अभी पूर्ण विकसित नहीं है और इसमें आगे और सुधार की आवश्यकता है। आगे, विभाग ने विस्तृत उत्तर (अगस्त 2019) में बताया कि गौण खनिजों के लिए एम.एस.एस के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है।

अन्य अनुपालन संबंधी मुद्दे

चयनित 13 जिला खनिज कार्यालयों/हीरा कार्यालय में 736 खनि पट्टों में से 390 (53 प्रतिशत) खनि पट्टों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 252 प्रकरणों में, जिनमें लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित राशि ₹ 207.07 करोड़ की वित्तीय संभावनाएँ निहित थीं, अनियमितताएँ पायी गयी। यह कई इकाईयों में पायी गयी आवर्ती अनियमिताएँ हैं और इनकी चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई हैं।

4.5.11 रॉयल्टी की वसूली न होना/कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खनि पट्टे का प्रत्येक पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से उसके द्वारा हटाये गये या उपयोग में लाये गये किसी खनिज के संबंध में अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उस खनिज के लिए निर्धारित दर से रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

- लेखापरीक्षा ने नौ जिला खनिज कार्यालयों[60] में मासिक विवरणियों, कर निर्धारणों एवं प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा में अवलोकित किया (दिसंबर 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य) कि 38 खनि पट्टों में पट्टेदारों ने वर्ष 2013 से 2018 तक की अवधि के लिए देय रॉयल्टी राशि ₹ 83.31 करोड़ के विरूद्ध ₹ 67.83 करोड़ का भुगतान किया। संबंधित जिला खनिज अधिकारी विवरणियों का सत्यापन अन्य संगत अभिलेखों से करने में तथा पट्टेदारों से बकाया राजस्व की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप रॉयल्टी राशि ₹ 15.48 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट IX** में दर्शित है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार लौह अयस्क, मैंगनीज एवं बाक्साईट के लिए रॉयल्टी की दर यथामूल्य आधार पर आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय मूल्य का क्रमशः 15 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत प्रभार्य है।

[60] **जिला खनिज अधिकारी** अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, धार, जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना और **हीरा अधिकारी** पन्ना।

- दो जि.ख.अ. कार्यालयों[61] में हमने देखा कि सात खनि पट्टों में जि.ख.अ. ने खनिजों पर आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय मूल्य के आधार पर प्रभार्य रॉयल्टी राशि ₹ 82.44 लाख के बजाय ₹ 53.90 लाख प्रभारित की। विवरण **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4
रॉयल्टी की कम वसूली

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला खनिज अधिकारी/प्रकरणों की संख्या	खनिज	मात्रा (मीट्रिक टन)	प्रभार्य रॉयल्टी	प्रभारित रॉयल्टी	कम वसूली
1	छिंदवाड़ा/02	मैंगनीज	7,425.16	49.51	31.86	17.65
2	जबलपुर/05	आयरन ओर	19,926,.395	22.72	18.16	4.56
		बाक्साईट	1,717.025	10.21	3.88	6.33
योग	**07 प्रकरण**			**82.44**	**53.90**	**28.54**

जि.ख.अ. कर निर्धारण करते समय आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय मूल्य का सत्यापन करने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 28.54 लाख की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना (मई 2012) के अनुसार कोयला पर रॉयल्टी की दर कोयले के विक्रय मूल्य के यथामूल्य आधार पर जैसा कि विक्रय बीजकों में करों, वसूलियों एवं अन्य प्रभारों को कम करते हुए परिलक्षित होता है, 14 प्रतिशत होगी।

- लेखापरीक्षा द्वारा जिला खनिज कार्यालय सिंगरौली के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (दिसंबर 2018) कि मेसर्स नार्दर्न कोल लिमिटेड (एन.सी.एल.) ने आठ खनि पट्टों के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान कोयले के 6,58,27,208.44 मीट्रिक टन प्रेषण पर राशि ₹ 1,007.22 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान किया। कोयले के विक्रय मूल्य का वाणिज्यिक कर विभाग से प्रतिसत्यापन में लेखापरीक्षा ने देखा कि पट्टेदार द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को प्रस्तुत अंकेक्षित खाता अनुसार कोयले का विक्रय मूल्य ₹ 8,350.13 करोड़ था, जिस पर 14 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी ₹ 1,169.02 करोड़ प्रभार्य थी। लेखापरीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि जिला खनिज अधिकारी द्वारा पट्टेदार का कर निर्धारण जनवरी 2015 से नहीं किया गया। इस प्रकार जिला खनिज अधिकारी द्वारा कोयले के विक्रय मूल्य का आँकलन लेखा पुस्तकों और पट्टेदार द्वारा दाखिल मासिक विवरणियों के साथ करने में विफल रहने के कारण रॉयल्टी राशि ₹ 161.80 करोड़ की कम वसूली हुई।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान विभाग का बिन्दुवार अभिमत निम्नानुसार है–

(1) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया तथा यह बताया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित बकाया रॉयल्टी ₹ 15.48 करोड़ के विरूद्ध 91 प्रतिशत की वसूली कर ली गई है। यह भी बताया गया कि शेष अन्य प्रकरणों में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

(2) यह बताया गया कि संबंधित प्रकरणों में वास्तविक औसत विक्रय मूल्य के आधार पर पुनः कर निर्धारण करते हुए बकाया रॉयल्टी की वसूली की जायेगी।

[61] छिंदवाड़ा और जबलपुर।

(3) यह बताया गया कि प्रकरण के परीक्षण उपरांत माँग जारी करने संबंधी अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

विभाग द्वारा विस्तृत उत्तर में बताया गया (सितंबर 2019) कि बकाया रॉयल्टी ₹ 15.48 करोड़ के विरूद्ध ₹ 68.89 लाख की वसूली कर ली गई। यद्यपि उपर्युक्त वसूली गई राशि के समर्थन में चालान लेखापरीक्षा द्वारा माँगे जाने के बावजूद विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये। यह भी बताया गया कि अन्य प्रकरण के परीक्षण उपरांत माँग जारी करने संबंधी अंतिम निर्णय लिया जायेगा। रॉयल्टी ₹ 161.80 करोड़ की कम वसूली के संबंध में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि लेखापरीक्षा ने कोयले के विक्रय मूल्य से क्रशिंग प्रभार एवं प्रोत्साहन की राशि को कम नहीं किया है।

उत्तर लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने कोयले का निवल मूल्य, जैसा कि पट्टेदार के अंकेक्षित लेखा में उत्पाद शुल्क, कर, रॉयल्टी एवं अन्य प्रभार को कम करते हुए दर्शाया गया है, गणना में लिया है।

4.5.12 खनि पट्टों में अनिवार्य भाटक की वसूली न होना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खनि पट्टे के धारक द्वारा खनि पट्टे में निहित सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए प्रत्येक वर्ष अधिनियम की तृतीय अनुसूची में निर्धारित दर से अनिवार्य भाटक राज्य सरकार को देय है। खनिज साधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र (सितंबर 1995) के अनुसार सम्पूर्ण वर्ष के लिए अनिवार्य भाटक का भुगतान अग्रिम रूप से प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी को या उसके पूर्व किया जाना चाहिए।

- लेखापरीक्षा ने नौ जिला खनिज कार्यालयों [62] में अवलोकित किया (दिसंबर 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य) कि नमूना जाँच किये गये 240 खनि पट्टों में से 116 खनि पट्टों में पट्टेदारों ने वर्ष 2014 और 2018 के मध्य अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 6.70 करोड़ का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप, **परिशिष्ट X** में दर्शाये अनुसार अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 6.70 करोड़ की वसूली नहीं हुई। खतौनी असंधारित रहने (पूर्व कंडिका 4.5.8 में उल्लेखित) के कारण जिला खनिज अधिकारी इन पट्टेदारों द्वारा देय अनिवार्य भाटक की निगरानी में विफल रहे तथा अनिवार्य भाटक की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि शिथिल खदानों की स्थिति संबंधित जिला खनिज अधिकारियों के पास उपलब्ध थी।
- लेखापरीक्षा ने जिला खनिज कार्यालय छिंदवाड़ा में अवलोकित किया कि पट्टेदार मे. वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड द्वारा 46 शिथिल खनि पट्टों के लिए 9,874.934 हेक्टेयर क्षेत्र धारित था। जिला खनिज अधिकारी द्वारा इन पट्टों में जनवरी 2014 से दिसम्बर 2016 की अवधि के लिए अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 2.96 करोड़ का निर्धारण किया था। इस निर्धारित अनिवार्य भाटक की राशि के विरूद्ध पट्टेदार द्वारा मात्र ₹ 1.94 करोड़ का भुगतान किया था जबकि सितम्बर 2014 से लागू संशोधित दरों [63] के अनुसार अनिवार्य भाटक की वास्तविक वसूली योग्य राशि ₹ 5.26 करोड़ थी। जिला खनिज अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय अनिवार्य भाटक की संशोधित दरों का सत्यापन न किये जाने के फलस्वरूप अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 3.32 करोड़ की कम वसूली हुई।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2019) के दौरान शासन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया तथा बकाया अनिवार्य भाटक की वसूली हेतु सहमति दी गई।

---

[62] बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना।

[63] सितम्बर 2014 के पूर्व दर ₹ 1,000 प्रति हेक्टेयर तथा सितम्बर 2014 से संशोधित दर ₹ 2,000 प्रति हेक्टयर।

विभाग द्वारा विस्तृत उत्तर में बताया गया (सितंबर 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित बकाया अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 6.70 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 2.34 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। यद्यपि वसूली गई राशि के समर्थन में चालान लेखापरीक्षा द्वारा माँगे जाने के बावजूद विभाग द्वारा उपलब्ध नही कराये गये। विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि शेष प्रकरणों में उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

4.5.13 विलंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली न होना

खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 64(क) सहपठित खनिज रियायत नियम 2016 के नियम 49 के अनुसार राज्य सरकार किसी किराए, रॉयल्टी या फीस के विलंबित भुगतान पर, उसके भुगतान की नियत तारीख की समाप्ति के साठवें दिन से, जब तक कि ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, 24 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज अधिरोपित कर सकेगी ।

हमने सात जिला खनिज कार्यालयों में अवलोकित किया (दिसंबर 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य) कि नमूना जाँच किये गये 163 खनि पट्टों में से 52 खनि पट्टों में पट्टेदारों ने वर्ष 2008 से वर्ष 2017 के लिए देय रॉयल्टी राशि ₹ 40.45 करोड़ का भुगतान नौ दिन से लेकर आठ वर्ष तक के विलंब से किया, जिसके फलस्वरूप **तालिका 4.5** में दर्शाये अनुसार ब्याज राशि ₹ 6.33 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

तालिका 4.5

देय खनि राजस्व के विलंबित भुगतानों पर ब्याज प्रभारित न किया जाना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	अवधि	प्रकरणों की संख्या	जमा राशि	विलंबित अवधि के दिवस	प्रभार्य ब्याज राशि
1	जिला खनिज अधिकारी रीवा	2017–18	5	958.17	71 से 187	86.32
2	जिला खनिज अधिकारी सतना	2017–18	4	807.98	89 से 558	80.21
3	जिला खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा	2014–15 से 2016–17	31	283.71	11 से 429	28.48
4	जिला खनिज अधिकारी अनुपपूर	2015–16 से 2017–18	3	81.84	88 से 145	7.03
5	जिला खनिज अधिकारी जबलपुर	2008–09 से 2016–17	2	14.63	323 से 2,879	7.90
6	जिला खनिज अधिकारी कटनी	2016–17	6	1,883.25	341	422.26
7	हीरा अधिकारी पन्ना	2014–15 से 2015–16	1	15.57	9 से 137	0.64
योग			**52**	**4,045.15**		**632.84**

संबंधित जिला खनिज अधिकारी पट्टेदार द्वारा रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार ब्याज आरोपित करने में विफल रहे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अगस्त 2019) विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया गया तथा देय ब्याज की वसूली करने हेतु सहमति दी गई।

4.5.14 राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एन.एम.ई.टी.) निधि की वसूली न होना/कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम निर्धारित करता है कि खनिपट्टे का धारक भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी राशि के दो प्रतिशत के बराबर राशि राष्ट्रीय

खनिज खोज न्यास निधि में संदाय करेगा। आगे, खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र (जनवरी 2016) के अनुसार राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि का अंशदान 12 जनवरी 2015 से संदेय है।

- लेखापरीक्षा ने आठ जिला खनिज कार्यालयों[64] में अवलोकित किया (दिसंबर 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य) कि 162 खनि पट्टों में से 90 खनि पट्टों में पट्टेदार ने लेखापरीक्षा अवधि में राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि के अंशदान की देय राशि ₹ 25.97 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 22.72 करोड़ का भुगतान किया। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि के अंशदान की राशि ₹ 3.25 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट XI** में दर्शाया गया है।
- आगे, पूर्व लेखापरीक्षा[65] में यह भी अवलोकित किया (मई 2017) गया था कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के नमूना जाँच किये गये 70 खनि पट्टों में से 24 खनि पट्टों में पट्टेदार द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि की देय राशि ₹ 45.59 लाख के विरूद्ध मात्र राशि ₹ 15 लाख का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप राजस्व राशि ₹ 30.59 लाख की अवसूली/कम वसूली हुई।

संबंधित जिला खनिज अधिकारियों के स्तर पर कर निर्धारण प्रकरणों के निपटान एवं खतौनी के संधारण में विफलता (पूर्व कंडिका 4.5.8 एवं 4.5.9 में उल्लेखित) के कारण जिला खनिज अधिकारी, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि की अवसूली/कम वसूली होने की स्थिति का पता नहीं लगा सके।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा बताया गया (अगस्त 2019) कि राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि की देय राशि की वसूली की जाएगी। विस्तृत उत्तर (सितम्बर 2019) में विभाग द्वारा पुनः वही आश्वासन दिया गया।

4.5.15 ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का अनारोपण/कम वसूली

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर अधिनियम एवं मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना (सितंबर 2005) के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर ''खनिजधारी भूमि के वार्षिक मूल्य'' जहाँ मुख्य खनिज का उत्पादन किया जा रहा है, की पाँच प्रतिशत की दर से तथा ऐसी खनिजधारी भूमि जहाँ लगातार दो या अधिक वर्षों में मुख्य खनिज का उत्पादन नहीं हुआ है, वहां ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर की दर से आरोपणीय है। आगे, अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार जिला खनिज अधिकारी को प्रारूप–I में एक रजिस्टर, जिसमें ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की माँग, वसूली एवं बकाया का विवरण शामिल हो, संधारित किया जाना आवश्यक है।

- लेखापरीक्षा ने 11 जिला खनिज कार्यालयों[66] के 230 खनि पट्टों में से 109 प्रकरणों में अवलोकित किया (दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के मध्य) कि पट्टेदारों द्वारा 11,912.54 हैक्टेयर खनिजधारी भूमि के लिए लेखापरीक्षा अवधि में देय ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर ₹ 5.28 करोड़ का भुगतान नही किया गया जैसा कि **परिशिष्ट XII** में दर्शित है।

निर्धारित प्रारूप में ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की माँग, वसूली एवं बकाया का रजिस्टर संधारित न किये जाने तथा पट्टेदारों के कर निर्धारण न किये

---

64 अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, रीवा और सतना।
65 जिला खनिज अधिकारी, छिंदवाड़ा के अवधि अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान।
66 बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, पन्ना, रीवा और सतना।

जाने के कारण उपरोक्त प्रकरणों में ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की राशि ₹ 5.28 करोड़ का अनारोपण/कम वसूली हुई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा बताया गया (अगस्त 2019) कि ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की राशि ₹ 5.28 करोड़ की वसूली के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा विस्तृत उत्तर में बताया गया (सितम्बर 2019) कि संबंधित पट्टेदारों को माँग पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही थी।

अन्य महत्वपूर्ण प्रेक्षण

आगामी प्रेक्षण यद्यपि कम इकाईयों में पाये गये, परन्तु अनियमितताओं/विचलन के कारण राज्य शासन को हानि हुई। इन प्रेक्षणों में राशि ₹ 4.31 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ शामिल है।

4.5.16 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 8–अ(3) के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व अनुदत्त सभी खनि पट्टों को 50 वर्ष की अवधि के लिए अनुदत्त माना जाएगा। अधिनियम के प्रावधानों और संचालनालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार पट्टा अवधि के विस्तार के प्रकरणों में या विस्तारित उत्पादन मात्रा के लिए संशोधित खनन योजना/पर्यावरणीय मंजूरी के प्रकरणों में प्रत्येक पट्टाधारक को पूरक अनुबंध का निष्पादन कराया जाना आवश्यक है।

भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 38(ब) के अनुसार खनि पट्टे के अधीन देय सम्पूर्ण रकम के 0.75 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था। इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस देय होगी। आगे, विभाग द्वारा जारी अनुदेश (अगस्त 2011) के अनुसार संशोधित पर्यावरणीय मंजूरी अथवा खनन योजना में दर्शायी खनिज की उत्खनन मात्रा (दोनों में से जो भी अधिक हो) के आधार पर संगणित रॉयल्टी पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस आरोपणीय होगी।

लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया कि:

- तीन जिला खनिज कार्यालयों[67] के तीन खनिपट्टा प्रकरणों में पट्टाधारकों द्वारा पूरक अनुबंध का निष्पादन संशोधित खनन योजना/पर्यावरणीय मंजूरी में खनिज की विस्तारित उत्पादन मात्रा के लिए तथा खनिपट्टे की विस्तारित अवधि के लिए नहीं कराया गया। इस प्रकार, इन तीन प्रकरणों में पूरक अनुबंध के निष्पादन कराये जाने में जिला खनि अधिकारियों की विफलता के कारण शासन मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के रूप में राशि ₹ 2.69 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा, जिसका विवरण **परिशिष्ट XIII** में दर्शाया गया है।

- जिला खनिज कार्यालय, छिंदवाड़ा में एक पट्टेदार द्वारा पट्टे की विस्तारित अवधि के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मैंगनीज के औसत विक्रय मूल्य ₹ 10,359 के स्थान पर ₹ 5,916 के मान से रॉयल्टी की गणना कर पूरक अनुबंध का निष्पादन (नवम्बर 2016) किया गया और देय मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस ₹ 1.71 करोड़ के विरूद्ध ₹ 0.98 करोड़ का भुगतान किया गया।

  इस प्रकार, जिला खनिज अधिकारी खनिज के सही औसत विक्रय मूल्य के आधार पर पट्टा विलेख के पूरक अनुबंध का निष्पादन कराये जाने में अथवा मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस के सही निर्धारण हेतु प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प

[67] जबलपुर, कटनी और सतना ।

को संदर्भित करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप शासन को मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के रूप में राशि ₹ 0.73 करोड़ की कम प्राप्ति हुई जैसा कि **परिशिष्ट XIV** में दर्शित है।

- लेखापरीक्षा जिला खनिज कार्यालय, जबलपुर में अवलोकित किया (दिसंबर 2018) कि दो पट्टेदारों द्वारा खनि पट्टों की विस्तारित अवधि के लिए पूरक अनुबंध का निष्पादन कराया गया। परन्तु मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के निर्धारण के लिए रॉयल्टी की गणना संशोधित खनन योजना में दर्शायी गई खनिज की उत्पादन मात्रा के आधार पर नहीं की गई। पट्टेदार द्वारा मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की देय राशि ₹ 1.15 करोड़ के विरूद्ध ₹ 0.26 करोड़ का भुगतान किया गया।

  रॉयल्टी की सही राशि के निर्धारण में जिला खनिज अधिकारी की विफलता के कारण मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की राशि ₹ 0.89 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट XV** में दर्शित है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा बताया गया (अगस्त 2019) कि उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा विस्तृत उत्तर में बताया गया (सितंबर 2019) कि संबंधित पट्टेदारों को माँग पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

4.5.18 निष्कर्ष

- विभाग के पास कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा या विभागीय मैनुअल नहीं था। इनकी अनुपस्थिति में, विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा मूल्यांकन, आरोपण और राजस्व संग्रहण आदि के लिए की जाने वाली विभिन्न जाँच और समरूपता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- खनिज संसाधन विभाग द्वारा खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन, आरोपण और संग्रहण के लिए स्थापित नियंत्रण तंत्र में विभिन्न कमियाँ थीं। माँग एवं संग्रहण पंजी का संधारण, पट्टेदारों द्वारा मासिक एवं वार्षिक विवरणियों की प्रस्तुति तथा कर निर्धारण न किये जाने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी न्यून थी तथा प्रणाली को राजस्व हानि के प्रति संवेदनशील बनाने वाली थी। विद्यमान कमियों ने विभाग को उसकी अवैध उत्खनन की सीमा का आँकलन कर पाने या उसे रोक पाने की अक्षमता के कारण मौजूदा बड़े पैमाने पर चलने वाले अवैध उत्खनन के लिए संवेदनशील बनाया।
- खदानों के निर्धारित मानदंड अनुसार अपर्याप्त निरीक्षण के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि पट्टा विलेख में निर्धारित किये गये नियमों और शर्तो का पालन पट्टेदार द्वारा किया गया था तथा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनिज का उत्खनन किया गया था। इसने भी विभाग को अवैध उत्खनन के प्रति कमजोर किया और यदि ऐसा हुआ है, तो इसकी जाँच करने में असमर्थ भी रहा। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा अधिनियम, नियमों और विभागीय निर्देशों के प्रावधानों को राजस्व की सुरक्षा हेतु उचित रूप से लागू नहीं किया गया।
- माईनिंग सर्विलांस सिस्टम राज्य में चल रहे अवैध उत्खनन के प्रकरणों का पता लगाने और रोकने में विफल रहा क्योंकि सिस्टम में प्राप्त हुए अधिकांश ट्रिगर्स भ्रामक पाये गये।

4.5.19 अनुशंसायें

शासन निम्नलिखित पर विचार कर सकता है :

- विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण देते हुए विभाग को एक विभागीय मैनुअल तैयार करना चाहिए।

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभाग को एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन करना चाहिए, जिससे विभाग स्वयं को आश्वस्त करने में सक्षम बन सके कि निर्धारित प्रणाली यथोचित रूप से कार्य कर रही है।
- उच्च अधिकारियों द्वारा जिला खनिज कार्यालयों के आवधिक निरीक्षण, खनि निरीक्षकों द्वारा खदानों का निरीक्षण और निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप/चेक लिस्ट अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधानों का अनुपालन विभाग सुनिश्चित कर सकता है। इनके अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखी जा सकती है।
- खतौनी का अनिवार्य संधारण सुनिश्चित किया जा सकता है और प्रभावी निगरानी के लिए कलेक्टर को इसकी नियमित प्रस्तुति तथा संचालक को निर्धारित अंतराल पर प्रस्तुति पर विचार किया जा सकता है एवं इस संबंध में एक ऑनलाईन तंत्र विकसित किया जा सकता है।
- शिथिल/असंचालित खनि पट्टा प्रकरणों में समय–समय पर समीक्षा, निरस्तीकरण और निराकरण सुनिश्चित करने तथा राजस्व वृद्धि हेतु इन खनि पट्टों के पुनःस्थापन के लिए एक तंत्र विकसित किया जा सकता है।
- शासकीय राजस्व का सही निर्धारण और वसूली तथा राजस्व की हानि को रोकने के लिए व्यापक उपाय निर्धारित किये जा सकते है।
- मूल अभिलेखों का संधारण न करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध उचित शास्ति का आरोपण निर्धारित किया जा सकता है।

अनुरूपता लेखापरीक्षा प्रेक्षण

4.6 ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर एवं शास्ति प्राप्त न होना

पन्द्रह निष्क्रिय खदानों के खनन पट्टेदारों द्वारा ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर ₹ 1.08 करोड़ भुगतान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त शास्ति ₹ 3.25 करोड़ भी आरोपित नहीं की गई जिसके फलस्वरूप शास्ति सहित कुल राजस्व ₹ 4.33 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास अधिनियम, 2005 और सिंतबर 2005 की अधिसूचना के अनुसार निष्क्रिय खदानों पर प्रतिवर्ष ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर की दर से ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर उन खनन पट्टेदारों पर लगाया जाना था जिन्हें मुख्य खनिज के खनन हेतु पट्टा विलेख प्राप्त था। आगे, कार्यशील खदानों के प्रकरण में, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का आरोपण, ऐसी खनिजधारी भूमि जहाँ से मुख्य खनिज निकाला जाता है, "खनिजधारी भूमि के वार्षिक मूल्य"[68] के पाँच प्रतिशत की दर से किया जायेगा। अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत, प्रत्येक पट्टाधारी को प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तिथि से पूर्व कर जमा करना है। कर भुगतान न करने की स्थिति में, सक्षम अधिकारी धारा 4(2) के तहत शास्ति का आरोपण करेगा जो देय कर राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 5 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी कर एवं शास्ति की राशि, यदि उसका भुगतान नहीं किया गया है तो, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करेगा।

[68] एक वित्तीय वर्ष के संबंध में, दो साल के दौरान खनिज असर भूमि से उत्पादित खनिज के मूल्य का एक–आधा हिस्सा तुरंत उस वित्तीय वर्ष से पहले होता है, खनिज का मूल्य जो खनिज के पूरे उत्पादन के दौरान प्राप्त किया जा सकता था। उन दो पूर्ववर्ती वर्षों में, इस तरह के खनिज असर भूमि के मालिक ने कर, शुल्क, रॉयल्टी, क्रशिंग चार्ज, वाशिंग चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज या किसी अन्य राशि की मात्रा को छोड़कर ऐसे मूल्य या कीमतों पर ऐसे खनिज बेचे थे, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, उस वित्तीय वर्ष के पहले दिन से पहले की तारीख पर प्रबल हुआ।

चार जिला खनिज कार्यालयों[69] में 122 खनि पट्टों में से 15 खनि पट्टों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (मई 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) कि 14 पट्टेदारों[70] ने अवधि अप्रैल 2016 से मार्च 2017 का देय ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर राशि ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, दोषी पट्टेदारों पर राशि ₹ 3.25 करोड़ की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, शास्ति सहित ₹ 4.33 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई **(परिशिष्ट XVI)**। यद्यपि विभाग द्वारा बताया (अप्रैल 2019) गया कि ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर की निगरानी समय–समय पर वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निदेशालय स्तर पर की जाती है, तथापि संबंधित जिला खनिज अधिकारी समय से ग्रा.अ.स.वि. कर और शास्ति की वसूली में असफल रहे। विभाग को अन्य जिला खनिज अधिकारी कार्यालयों में इस मुद्दे की जाँच करनी चाहिए और सभी चूककर्ता पट्टेदारों से बकाया राजस्व वसूली करनी चाहिए।

2012–13 से 2016–17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी प्रकार के प्रेक्षण इंगित किये गये थे, लेकिन विभाग द्वारा वसूली की देख–रेख से संबंधित माँग एवं संग्रहण पंजी के संधारण एवं ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए कोई निर्देश/परिपत्र जारी नहीं किया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2017 और अगस्त 2018 के मध्य) गया। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा। यद्यपि, कोई वसूली लेखापरीक्षा को सूचित नहीं की गई (मई 2019)।

4.7 व्यापारिक खदानों पर अनुबंध राशि की अप्राप्ति/कम प्राप्ति होना

छः व्यापारिक खदानों के अनुबंधों के लिए विभाग ने ₹ 3.22 करोड़ की वसूली योग्य राशि के मुकाबले, केवल ₹ 0.95 करोड़ की अनुबंध राशि वसूल की। फलस्वरूप, ₹ 2.27 करोड़ के अनुबंध राशि की कम प्राप्ति हुई।

म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 (एम एम नियम 1996) के नियम 37 (1) तथा व्यापार खदान के लिए मानक अनुबंध समझौते की शर्त क्रमांक 5 (1) और 9 के अनुसार, प्रत्येक ठेकेदार को निर्धारित तिथि पर राज्य सरकार को अनुबंध धनराशि का भुगतान करना होता है। यदि अनुबंध धन राशि एक महीने से अधिक समय तक भुगतान हेतु लंबित रहती है, तो अनुबंध रद्द हो सकता है और खदान फिर से नीलाम हो सकती है। परिणामस्वरूप, खदान की फिर से नीलामी करने पर, अगर सरकार कोई नुकसान उठाती है, तो उसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में दोषी ठेकेदार से वसूल किया जाएगा, लेकिन ऐसा करने से पहले, 30 दिन के अंदर, ठेकेदार को अतिदेय की राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया जायेगा।

अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि के लिए चार जिला खनिज कार्यालयों[71] में 22 व्यापार खदानों की केस फाइलों की लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि छह व्यापार खदानों के पट्टा विलेख धारित पाँच ठेकेदारों[72] ने ₹ 3.22 की देय राशि के

---

69 छिंदवाड़ा, दमोह, सतना और शहडोल।

70 जि.ख.अ. छिंदवाड़ा: में. रिलायन्स कंपनी, में. जय प्रकाश एसोसिएट्स लि. और में. जे. पी. कॉरपोरेशन लि.; जि.ख.अ. शहडोलः अल्ट्राटेक सीमेंट, राज मिनरल्स, बुड़वा मिनरल्स, और अग्रवाल और सिंह मिनरल्स; जि.ख.अ. दमोहः प्रकाश दुबे, मतंग सिंह बघवा, स्नेह सलिला हजारी, और सरिता सिंह; जि.ख.अ. सतनाः अजय कुमार पाठक, कन्हैयालाल केशरी, और कमलाकर चतुर्वेदी।

71 अनूपपुर, गुना, इंदौर और नरसिंहपुर।

72 जि.ख.अ. अनूपपुरः जयप्रकाश शिवदासानी; जि.ख.अ. गुनाः सत्येंद्र रघुवंशी; जि.ख.अ. नरसिंहपुरः में. शर्मा एसोसिएट्स; जि.ख.अ. इंदौरः वीरेंद्र सिंह सोलंकी और सेवाराम खेमानी।

विरूद्ध ₹ 0.95 करोड़ की अनुबंध राशि का भुगतान किया था। परिणामस्वरूप, अनुबंध राशि ₹ 2.27 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई **(परिशिष्ट XVII)**। जि.ख.अ. को निर्धारित तिथि से एक महीने के बाद इन व्यापार खदानों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी। हालाँकि, व्यापार खदानों की नीलामी को रद्द करने और उन्हें फिर से नीलाम करने के लिए संबंधित नियमों के अनुसार कोई कार्रवाई शुरू होना नहीं पाया गया।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के प्रेक्षणों पर ध्यान दिलाया गया था, लेकिन विभाग ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (दिसंबर 2017 और मई 2018 के मध्य)। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने उचित कार्यवाही किए जाने एवं लेखापरीक्षा को सूचित किये जाने का आश्वासन दिया था। अब तक विभाग ने चार मामलों में ₹ 1.95 करोड़ की वसूली की सूचना दी (अगस्त 2019) है।

4.8 अनिवार्य किराये की प्राप्ति न होना या कम प्राप्ति होना

जिला कलेक्टर 157 पट्टेदारों से अनिवार्य किराया ₹ 1.51 करोड़ वसूलने में असफल रहे।

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम/खदान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1996 के नियम 30 (1) (ए) के अनुसार प्रत्येक पट्टेदार, खदान पट्टे/उत्खनि पट्टे में शामिल समस्त क्षेत्रों के संबंध में निर्धारित दरों पर अनिवार्य किराये का प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, बशर्ते कि पट्टेदार निकासी या उपयोग किये गये खनिज पर रॉयल्टी के भुगतान का देय हो जाने की स्थिति में, उस क्षेत्र के लिए अनिवार्य किराया अथवा रॉयल्टी की राशि में से जो भी अधिक हो, के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त नियम की शर्त 26 के अनुसार जहाँ पट्टेदार निर्धारित तिथि तक खदान पट्टे के अनिवार्य किराये का वार्षिक भुगतान करने में विफल रहते हैं, जिला कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर पर्याप्त सूचना पत्र जारी करने के बाद पट्टे का आँकलन करने और सुरक्षा जमा राशि के पूरे या आंशिक हिस्से को राजसात करने या विकल्पतः पट्टेदार से इस नियम–उल्लंघन हेतु शास्ति वसूल कर सकेगा जो पट्टेदाता द्वारा निर्धारित पट्टे के अनिवार्य किराये की अर्द्धवार्षिक दर की चार गुणा राशि से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा द्वारा 20 जिला खनिज कार्यालयों[73] की अप्रैल 2013 से मार्च 2017 की अवधि की व्यक्तिगत प्रकरण नस्तियों, चालानों तथा पत्राचार नस्तियों की नमूना जाँच में पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,019 खदान पट्टों में से 154 और नमूना जाँच किए गए 12 खनन पट्टों में से 03 में, जि.ख.अ. अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे जिससे अनिवार्य किराये की राशि ₹ 1.51 करोड़ कम वसूली हुई **(परिशिष्ट XVIII)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2017 से मई 2018 के मध्य)। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। यद्यपि, अब तक (जून 2019) विभाग ने खनि पट्टों के 29 प्रकरणों में मात्र ₹ 30.10 लाख की वसूली की सूचना दी है।

[73] अनूपपुर, बड़वानी, भिंड, छिंदवाड़ा, दमोह, गुना, होशंगाबाद, इंदौर, खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, टीकमगढ़ और उज्जैन।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के प्रेक्षण इंगित किए गए थे, लेकिन विभाग ने ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिये कोई तन्त्र विकसित नहीं किया है।

4.9 विस्तारित अवधि के पूरक विलेख का निष्पादन नहीं करने के कारण मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की अप्राप्ति

13 उत्खनन पट्टों से राशि ₹ 1.01 करोड़ की मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का आरोपण नहीं किया गया।

भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 की अनुसूची IA (14 जनवरी 2016 से प्रभावी) के अनुच्छेद 38 (बी) में निर्धारित किया गया है कि किसी भी अवधि के खनन पट्टे के लिए, एक पट्टे के तहत या उप–पट्टे सहित और किसी भी अनुबंध या किराये के उप–किराये या किसी भी नवीनीकरण, ऐसी लीज के तहत देय या प्रदाय की गई राशि का 0.75 प्रतिशत के बराबर मुद्रांक शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद II के अनुसार, पट्टों के पंजीकरण के लिए, मुद्रांक शुल्क के मूल्य के तीन–चौथाई की दर से पंजीयन शुल्क लगाया जायेगा।

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए दो जिला खनिज कार्यालयों[74] के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवंबर 2017) रिकॉर्ड में पाया गया कि विभाग ने इन पट्टा अवधि को 50 साल तक बढ़ा दिया। इसके अलावा यह देखा गया कि खनन पट्टे की जांच के 27 मामलों में से 13 मामलों में, संबंधित जि.ख.अ. ने विस्तारित अवधि के लिए इन पट्टों के साथ पूरक विलेख को निष्पादित नहीं किया और उन्हें पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग के साथ पंजीकृत किया। हालाँकि, विस्तार के लिए मंजूरी संबंधित कलेक्टर द्वारा पट्टेदारों को दी गई। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.01 करोड़ के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस कम आरोपण हुआ **(परिशिष्ट XIX)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2018)। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। अब तक, विभाग ने केवल तीन मामलों में ₹ 28.99 लाख की वसूली की सूचना दी है (जून 2019)।

4.10 खनन पट्टे पर रॉयल्टी की अप्राप्ति/कम प्राप्ति होना

खनिजों के उपभोग/परिवहन के लिए नौ पट्टेदारों ने खनन पट्टे पर ₹ 2.04 करोड़ के देय रॉयल्टी के विरूद्ध ₹ 1.12 करोड़ के रॉयल्टी का भुगतान किया। परिणामस्वरूप रॉयल्टी राशि ₹ 92.63 लाख के रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार, खनन पट्टे के प्रत्येक पट्टेदार को अधिनियम की अनुसूची–2 में निर्दिष्ट दरों पर, पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से परिवहन किये गए या उपभोग किए गए खनिजों के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाँच जिला खनिज कार्यालयों[75] के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा पाया कि नमूना जाँच किये गये 82 में से नौ प्रमुख खनिज पटटेदारों ने अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 2.04 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध ₹ 1.12 करोड़ के रॉयल्टी का भुगतान किया था। संबंधित जि.ख.अ. ने इन प्रकरणों में माँग नोटिस जारी नहीं किया। यह दर्शाता है कि नामित अधिकारियों द्वारा राजस्व संग्रह के हित में अधिनियम में प्रावधान लागू नहीं किए गए थे। विभाग ने डिफॉल्टरों को इलेक्ट्रॉनिक

[74] रीवा और सतना।
[75] धार, कटनी, नरसिंहपुर, रीवा और सागर।

ट्रांजिट पास जारी करना भी बंद कर दिया है। परिणामस्वरूप ₹ 92.63 लाख की रॉयल्टी की या तो वसूली नहीं हुई या कम वसूली हुई **(परिशिष्ट XX)**।

इसके आगे यह भी देखा गया की जि.ख. कार्यालय धार में कर निर्धारण आदेश पट्टेदार द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों के आधार पर तैयार किये गए थे न कि जि.ख.अ. द्वारा संधारित अभिलेखों के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2018 और जुलाई 2018 के मध्य)। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। हालांकि, उसके बाद लेखापरीक्षा को कुछ भी सूचित नहीं किया गया है।

4.11 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज की अप्राप्ति/कम प्राप्ति होना

72 पट्टेदारों से अनुबंध राशि/अनिवार्य किराये के भुगतान पर ब्याज वसूलने के लिए जि.ख.अ. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 64 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

4.11.1 व्यापारिक खदानों में संविदा राशि का विलंब से भुगतान

गौण खनिज नियम, 1996 के नियम – 37 (1) एवं अनुबंध 5 (1) के अनुसार, व्यापारिक खदान पट्टों के ठेकेदारों को उनके अनुबंध के ठेकों में इंगित तारीखों पर या इससे पहले अनुबंध राशि का भुगतान करना आवश्यक होता है। ठेकेदार अनुबंध राशि के अतिरिक्त 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए दो जिला खनिज कार्यालयों[76] के प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच से पता चला कि नमूना जाँच की गई 14 व्यापारिक खदानों में पाँच ठेकेदारों ने ₹ 8.82 करोड़ की अनुबंध राशि का भुगतान ठेकों के अनुसार निर्धारित तिथि से 28 से 209 दिनों के विलम्ब से जमा किया था। जि.ख. अधिकारियों ने व्यापारिक खदानों की अनुबंध राशि के विलंबित भुगतानों के लिए वसूली योग्य ब्याज की राशि ₹ 56.36 लाख के विरूद्ध केवल ₹ 3.22 लाख का ब्याज वसूल किया। परिणामस्वरुप, ₹ 53.14 लाख का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ/कम प्राप्त हुआ (**परिशिष्ट XXI**)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2018 और मई 2018 के मध्य)। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। हालांकि, उसके बाद लेखापरीक्षा को कुछ भी सूचित नहीं किया गया है।

4.11.2 उत्खनि पट्टों में अनिवार्य किराये का विलम्ब से भुगतान किया जाना

गौण खनिज नियम, 1996 के नियम – 30 (1)(डी) के अनुसार खदान पटटे के प्रत्येक पट्टेदार को वर्ष के प्रथम माह के बीसवें दिन या उससे पहले, उप नियम (ए) तथा (बी) के तहत राज्य सरकार को अनिवार्य किराया या रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक है, जिसमें विफल रहने पर विलंबित किराया जमा करने की तिथि तक पट्टेदार 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिये उत्तरदायी है, इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही भी जा सकती है।

2014–15 से 2016–17 की अवधि में 12 जिला खनिज कार्यालयों[77] की प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच से पता चला कि 724 उत्खनि पट्टों में से 67 उत्खनि पट्टों ने 19 से

[76] अनूपपुर और नरसिंहपुर।
[77] अनूपपुर, बड़वानी, भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, गुना, होशंगाबाद, इंदौर, खरगौन, सागर, सिवनी और टीकमगढ़।

598 दिनों के विलंब से अनिवार्य किराये का भुगतान किया। अनिवार्य किराये की राशि ₹ 78.81 लाख के विलम्बित भुगतान पर विभाग ने ब्याज की राशि ₹ 10.86 लाख का आरोपण नहीं किया। परिणामस्वरूप, जि.ख.अ. अनिवार्य किराये के विलंबित भुगतान पर ब्याज की राशि ₹ 10.86 लाख की वसूली करने में असफल रहें **(परिशिष्ट XXII)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2018 और जुलाई 2018 के मध्य)। निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। हालांकि विभाग द्वारा अब तक (जून 2019) 15 प्रकरणों में राशि ₹ 4.01 लाख मात्र की वसूली की गयी।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के सबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।